

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.1(2)न्याय/2008

जयपुर, दिनांक 22 SEP 2020

-:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)न्याय/2008 दिनांक 28.02.2019 के कॉलम संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार परिवर्तन करती है-

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम                                                     | क्षेत्राधिकार                    | बैठक का स्थान | जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1       | 2                                                                   | 3                                | 4             | 5                                 |
| 1.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद | अरनोद उपखण्ड एवं पीपलखूंट उपखण्ड | अरनोद         | प्रतापगढ़                         |

राज्यपाल के आदेश से  
(विनोद कुमार भारवानी)  
प्रमुख शासन सचिव

**RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR**

No. Gen./II/12/2020/ 1207

Date: 24/09/2020

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. District & Sessions Judge, Pratapgarh.
3. Additional Chief Judicial Magistrate, Arnod.
4. Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)